

प्रेषक,

आर0पी0सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

विषय:- कार्योंपरांत स्वीकृति (Ex. Post facto) के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनज 9.10 के दायी पटरी पर ग्राम हरदुआगंज के खसरा स0-176 में एस्सार आर्टल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र दिनांक 989/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/

अदर्स/14131/2015, दिनांक 27.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी हैं :-

- (1) प्रस्ताव कार्यान्तर स्वीकृति (Ex. post facto.) से संबंधित हैं, तो पृष्ठ-20 पर रक्षित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है?
- (2) विषयगत प्रस्ताव वर्ष 2015 में प्रस्तावित है, उत्सघन कब किया गया है? भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश दिनांक 29-01-2018 के बिन्दु-3 की के अनुसार दृष्टात्मक एम0डी0पी0 की गणना उचित प्रतीत नहीं होता है?
- (3) प्रस्ताव के पृष्ठ-31 पर रक्षित प्रमाण पत्र दिनांक 31-3-2020 को समाप्त हो गया है, जिसे अद्यतन अपेक्षित है।
- (4) एच-2 केंस दर्ज होने के परचात पैनास्ती जमा की गयी? केंस प्रशामित की गयी है अथवा नहीं?

3- कृपया उपरोक्त कमियों का निराकरण कर अपना सस्तुति सहित आख्या 03 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर0पी0सिंह)
अनु सचिव


कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 1094/11सी-FP/UP/Others/14131/2015 दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 06, 2020

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिमिटेड, ए-5 सैक्टर-3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ